

बिहार सरकार  
नगर विकास एवं आवास विभाग  
(बिहार शहरी विकास अभिकरण)

॥ कार्यालय आदेश ॥

सं0सं0-04/RAY-28/2014- 144 / न0वि0एवंआ0वि0, पटना, दिनांक-7/4/16

कार्यालय आदेश सं0-123 सह पठित ज्ञापांक-2211 दिनांक-22.04.15 द्वारा राजीव आवास योजना के अन्तर्गत 7 परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु संबंधित नगर निगमों को आवास एवं आधारभूत संरचना मद में प्रथम किस्त आवंटित की जा चुकी है। कार्यालय आदेश सं0-422 सह पठित ज्ञापांक-5118 दिनांक-23.12.15 नगर निगम, गया को आवास मद में राशि विमुक्त की गयी। उसी क्रम में नगर निगम, गया एवं नगर निगम, कटिहार को राशि विमुक्त करने की स्वीकृति निम्नवत् प्रदान की जाती है:-

(राशि लाख रू0 में)

क्र0 सं0	निकाय का नाम	परियोजना का नाम	कुल परियोजना लागत	आवास एवं आधारभूत संरचना मद में अबतक कुल विमुक्त राशि	विमुक्त की जाने वाली राशि		कुल राशि स्तंभ (5+6+7)
					आवास	आधारभूत संरचना	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	नगर निगम गया	गया फेज-1	7589.80	2253.12	1018.97	234.15	3506.24
2	नगर निगम, कटिहार	कटिहार-फेज-1	8841.84	1458.39	1096.34	362.04	2916.77

- अतः उपरोक्त विवरणी के स्तंभ 06 एवं 07 में अंकित राशि संबंधित निकाय को योजना के कार्यान्वयन हेतु RTGS के माध्यम से संबंधित बैंक खाता में उपलब्ध करा दी जायेगी।
- योजना की पूर्णता एवं परियोजना की गुणवत्ता सर्वोपरी है। अतः नगर आयुक्त, नगर निगम, गया एवं कटिहार योजना का सघन पर्यवेक्षण करेंगे।
- गया, नगर निगम को आंतरिक व्यवस्था के तहत पटना फेज-2 एवं फेज-3 (5.00+5.00) 10.00 करोड़ राशि लेकर विमुक्त की जा रही है, जो गया के लिए राशि प्राप्त होते ही राशि का समायोजित की जायेगी।
- प्रस्ताव पर विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ज्ञापांक-04/RAY-28/2014- 690 पटना, दिनांक- 7/4/16  
प्रतिलिपि:-लेखापाल बुडा/टीम लीडर, SLTC, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

संयुक्त सचिव-सह-निदेशक,  
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक-04/RAY-28/2014- 690 पटना, दिनांक- 7/4/16  
प्रतिलिपि:-नगर आयुक्त, नगर निगम, गया एवं कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

संयुक्त सचिव-सह-निदेशक।

संयुक्त सचिव-सह-निदेशक।